

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं
(महिला एवं बाल विकास विभाग)
2, जलपथ, गांधीनगर, जयपुर

क्रमांक:एफ.1(3)(46)स्था/मंत्रा/मबावि/01/18/1122

जयपुर,दिनांक: 15/10/18


आ दे श

श्री कुशल पाल सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, चेचट मु0 रामगंजमण्डी (कोटा) ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजकीय सेवा से दिनांक 01.11.18 से स्वैच्छिक सेवानिवृति चाही है।

अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) के प्रावधान के तहत श्री कुशल पाल सिंह का स्वैच्छिक सेवानिवृति का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये इन्हें राजकीय सेवा से दिनांक 01.11.18 को मध्यान्ह पश्चात से एतद् द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृति किया जाता है। इनकी राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 4 (2) के अन्तर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृति की दिनांक 01.11.18 को अकार्य दिवस माना जायेगा।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री कुशल पाल सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, चेचट मु0 रामगंजमण्डी (कोटा) के विरुद्ध:-


- 1-राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम 16 व 17 के अधीन वर्तमान में कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2-राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3-कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


उपनिदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:एफ.1(3)(46)स्था/मंत्रा/मबावि/01/18/1123-129
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

जयपुर,दिनांक: 15/10/18

- 1 निदेशक, पेंशन विभाग, राज., जयपुर।
- 2 संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, कोटा।
- 3 उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, कोटा।
- 4 बाल विकास परियोजना अधिकारी, चेचट मु0 रामगंजमण्डी (कोटा)।
- 5 श्री कुशल पाल सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी, चेचट मु0 रामगंजमण्डी (कोटा)।
- 6 व्यक्तिगत पत्रावली।
- 7 आदेश पत्रावली।


उपनिदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।